राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404

Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 1491 दिनांकः 16.03.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 7547–48 दिनांक 6.3.18 से पुलिस थाना सुनेल के अभियोग सं0 246 / 17 धारा 341, 364, 382, 302, 34 भादस व 3 / 25, 4 / 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दुर्गा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल व कालू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत उम्र 58 साल निवासी बोलियाबुर्जग थाना सुनेल जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2017 को न्यायालय परिसर भवानीमंडी मे फरियादी श्री रामकरण पुत्र लक्ष्मीचंद जाति पाटीदार उम्र 65 साल निवासी बोलियाबुर्जग थाना सुनेल जिला झालावाड ने एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.12.2017 को मेरा पुत्र राजूलाल व उसकी पत्नी शोभा तथा मै हम तीनो मोटरसाईकिल से भवानीमंडी एडीजे कोर्ट मे राजू की पेशी होने के कारण पेशी पर आ रहे थे, जेसे ही हम हरिपुरा के पास पुलिया के पहले व सिरपोई की तरफ पहुंचे कि सामने की तरफ से एक ट्रेक्टर फार्मट्रेक तेज रफतार से मेरे पुत्र को जान से मारने की नीयत से आया, जिसको फतेह सिंह आ0 दुर्गासिंह राजपूत निवासी बोलिया बुर्जग भी बैठे हुए थे। जिन्होने कहा कि चढा साले पर यह कहकर जान से मारने की नीयत से ट्रेक्टर से उनके टक्कर मार दी, ट्रेक्टर के द्वारा टक्कर मारने के कारण मेरी पुत्रवधू शोभा की मौके पर ही मृत्यु हो गई एंव ये सभी लोग फतेहसिंह, दुर्गासिंह, कालू सिंह ये कहते हुए मेरे पुत्र राजू का अपहरण करके खिचते हुए ले गये कि आज यह जिन्दा नही रहना चाहिये। मुझे पूरी आंशका है कि ये लोग उसकी भी हत्या कर सकते हे। उसके साथ कोई भी अनहोनी घटना अथवा हत्या कर सकते है। मै मेरे पुत्र को बचाने के लिए दौडा किन्तु ये लोग उसे लेकर भाग गये। इन लोगो ने मेरे पुत्र की हत्या करने की नीयत से ट्रेक्टर से टक्कर मारी व पुत्र का अपहरण करके ले गये इत्यादि पर प्रकरण स0 246 / 2017 पंजीबद्व कर अनुसंधान किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । श्रीमति शोभा बाई का पोस्टमार्टम करवाया एंव ट्रेक्टर जप्त किया गया। ट्रेक्टर मे मिले हथियार एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम, चार कारतूस 7.65, नो कारतूस 12 बोर को जप्त कर आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम लोहे का बना हुआ देशी पिस्टल है। जिस पर किसी प्रकार का नंबर व मार्का अंकित नही है। बैरल, ट्रेगर, हेमर पर निकल किया हुआ है। मौजूदा समय मे इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है। उक्त पिस्टल फायर करने योग्य है, जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। चार कारतूस 7.65 एमएम के पीतल के बने हुए है, चारो कारतूस समान रूप से एक जैसे है। कारतूसो की केप पर केएफ 765 अंकित है। चारो कारतूस मे से तीन जिन्दा अवस्था मे है एक कारतूस की केप पर पिन फायरिग का निशान है। अतः चौथा राउण्ड मिस अवस्था मे है, चारो कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। नो कारतूस 12 बोर के जिस मे से आठ कारतूस समान रूप से एक जैसे है। आठो कारतूस पर पीतल की केप फिट है केप पर केएफ 12 अंकित है। सभी कारतूस खाकी रंग है। आठो कारतूस के अलावा एक रितूस जो दूसरो से भिन्न है। यह कारतूस लाल कलर का है। कारतूस मे स्टील की केप फिट है। केप पर अग्रेंजी मे 12 शक्तिमान 12 एक्सप्रेस अंकित है। यह कारतूस बुलेट वाला है। कंवर पर अग्रेजी मे शक्तिमान एक्सप्रेस व कंपनी की इन्फोरमेशन अंकित हे। उक्त कारतूस जिन्दा अवस्था मे है। सभी 9 बारह बोर कारतूस जिन्दा अवस्था मे है, जो एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्तगणो के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेश सिंह थानाधिकारी थाना सुनेल व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी पिस्टल,चार कारतूस 7.65 एंव नो कारतूस 12 बोर को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– दुर्गा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल व 2–कालू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत उम्र 58 साल सकनाये बोलिया बुर्जग थाना सुनेल जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड